राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक: 01.07.2022

आदेश

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए (8) एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम, 2012 में संशोधन कर कट–ऑफ–डेट दिनांक 17.06.1999 से 31.12.2021 की जा चुकी है, उनमें निम्न शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावें–

1. घनी आबादी का मतलब 60 प्रतिशत भूखण्डों पर निर्माण होकर लोग बस चुके है।
2. उस घनी आबादी में 20 फीट रोड़ कम से कम होनी चाहिए ताकि एम्बुलेन्स, फायर ब्रिगेड आदि जा सके। अगर मौके पर ज्याद चौड़ी सड़क है, तो उसे रखा जायेगा।
3. सर्वे जो किया जायेगा उसमें केवल मौके पर सड़कों की चौड़ाई व भवन रेखा (बाउण्ड्रीवाल) देखी जावेगी।
4. उपरोक्त शर्तें यदि किसी कॉलोनी में पूरी हो रही है, तो उसका सुओ–मोटो 90–ए करके कार्यवाही की जावेगी।
5. उस कॉलोनी का ले–आउट की आवश्यकता नही होगी। केवल उपरोक्त सर्वे के आधार पर पट्टे दिये जायेगें।
6. ऐसी कॉलोनियों को अभियान अवधि में सघन आबादी क्षेत्र मानते हुये कॉलोनी के निवासी/निवासियों के द्वारा व्यक्तिगत/सामुहिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुओ–मोटो धारा 90–ए (8) की कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त शर्तें पूरी होने पर विभागीय अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 व 10.12.2021 के अनुसार राशि लेकर पट्टे दिये जा सकेगें।

नोट :– पूर्व में स्वीकृत हो चुके ले–आउट प्लानों के शेष पट्टे स्वीकृत ले–आउट प्लान अनुसार ही जारी किये जावेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम